इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स, पंजीकरण शुल्क नहीं

जागरण संवाददाता, लखनऊ : आप इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अब तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ईवी वाहनों पर सरकार टैक्स व पंजीकरण का शुल्क नहीं लेगी। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने 13 अक्टूबर 2022 के बाद ईवी खरीदा है, परिवहन विभाग उनका जमा टैक्स व पंजीकरण शुल्क वापस करेगा। प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, ताकि पर्यावरण दुरुस्त रहे। परिवहन विभाग ने गुरुवार को विस्तृत अधिसूचना जारी की है, क्योंकि इसके पहले 28 अक्टूबर 2019 को जारी अधिसूचना में वाहनों पर छूट मिलने का उल्लेख नहीं किया गया था। उसमें ही अब संशोधन किया गया है। नए नियम के मुताबिक प्रदेश में खरीदे गए ईवी पर 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तीन साल तक वाहन पर टैक्स व पंजीकरण में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। इसे ऐसे समझें यदि कोई ईवी किसी भी राज्य में बना है और यूपी में उसकी बिक्री हुई तो खरीदने वाले को टैक्स व पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। अधिसूचना में लिखा है कि 14 अक्टूबर 2022 के चौथे और पांचवें वर्ष यानी 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में निर्मित और खरीदे ईवी का टैक्स व पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा।